न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)
अपील संख्या:– 12/53/2020

अपीलार्थी:–
श्री महक यादव, निवासी–एस–3, 19–20, आनन्दम कॉलोनी नजदीक चिरायु अस्पताल, हाथौज–कालवाड रोड, झोंटवाडा, जयपुर।

प्रत्यर्थी:–
लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::–– दिनांक:– 28–09–2020

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 22.07.2020 के माध्यम से पूर्व में जिला कलक्टर महोदय अलवर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.07.2020 के संबंध में आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दूवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 28.09.2020 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 1127 दिनांक 14.09.20 के माध्यम से जबाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त प्रा0पत्र0 दिनांक 22.07.2020 के माध्यम से तहसीलदार बहरोड अन्तर्गत/क्षेत्राधीन विविध सूचना चाही गई थी, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) में उपलब्ध प्रावधानों के तहत लोक सूचना अधिकारी कार्यालय के विनिश्चय के विरूद्व उनके ज्येष्ठ पंक्ति के वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है, तदानुसार उक्त अपील उप खण्ड अधिकारी बहरोड के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए।
5. प्रकरण के परीक्षणोपरान्त जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 22.07.20 के अंकित वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अलवर के द्वारा पत्रांक 1127 दिनांक 14.09.20 के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। अपीलार्थी की प्रथम अपील इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है, जिसकी सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जा चुका है। अतः अपील निरस्त करने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज **दिनांक 28.09.2020** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर,अलवर